WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28052025-263435
CG-DL-E-28052025-263435

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 390] नई दिल्ली, सोमवार, मई 26, 2025/ज्येष्ठ 5, 1947
No. 390] NEW DELHI, MONDAY, MAY 26, 2025/JYAISTHA 5, 1947

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 2025

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (चौथा संशोधन) विनियम, 2025

फा. सं. आई.बी.बी.आई./2025-26/जी.एन./आर.ई.जी.127.—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196 की उपधारा (1) के खण्ड (न) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (चौथा संशोधन) विनियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

2. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् 'मूल विनियम' कहा गया है) के विनियम 18 में, उप-विनियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(5) समिति, समाधान व्यावसायिक को यह निदेश दे सकेगी कि वह अंतरिम वित्त प्रदाताओं को समिति की ऐसी बैठक (बैठकों) में, जो समिति विनिश्चित करे, मतदान अधिकारों के बिना पर्यवेक्षकों के रूप में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित करे ।"

3. मूल विनियमों के विनियम 36क में, उप-विनियम (1) के पश्चात्. निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(1क) समाधान व्यावसायिक, समिति के अनुमोदन से, कारपोरेट ऋणी के लिए समग्र रूप से या कारपोरेट ऋणी की एक या अधिक आस्तियों के लिए या दोनों के लिए समाधान योजनाएं प्रस्तुत करने के लिए रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित कर सकेगा ।"

4. मूल विनियमों के विनियम 36ख में, उप-विनियम (6क) का लोप किया जाएगा ।

5. मूल विनियमों के विनियम 38 में,-

(i) उप-विनियम (1) में,

क. खंड (ख) में, "प्राथमिकता दी जाएगी ।" शब्दों और चिह्न के स्थान पर "प्राथमिकता दी जाएगी:" शब्द और चिह्न रखा जाएगा ।

ख. खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परन्तु जहां यदि किसी समाधान योजना में चरणों में भुगतान करने का उपबंध है वहां ऐसे वित्तीय लेनदारों को भी, जिन्होंने समाधान योजना के पक्ष में मतदान नहीं किया था, ऐसे वित्तीय लेनदारों के मुकाबले जिन्होंने योजना के पक्ष में मतदान किया था, प्रत्येक चरण में कम से कम आनुपातिक आधार पर और प्राथमिकता के आधार पर भुगतान किया जाएगा ।"

6. मूल विनियमों के विनियम 39 में,

(i) उप-विनियम (2) में, "जो संहिता और उसके अधीन बनाए गए विनियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन करती है" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

(ii) उप-विनियम (2) में, "अपने द्वारा संप्रेक्षित" शब्दों के स्थान पर "गैर-अनुपालक योजनाओं और अपने द्वारा संप्रक्षित" शब्द रखे जाएंगे ।

(iii) उप-विनियम (3) के खंड (क) में, "उप-विनियम (2) के अधीन प्राप्त समाधान योजनाओं का" शब्दों के स्थान पर "उप-विनियम (2) के अधीन प्राप्त ऐसी समाधान योजनाओं का, जो संहिता और उसके अधीन बनाए गए विनियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन करती हैं," शब्द और चिह्न रखे जाएंगे ।

रवि मित्तल, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./123/2025-26]

टिप्पण: भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4 सं. 432, तारीख 30 नवम्बर, 2016 में अधिसूचना

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

सं. आई.बी.बी.आई./2016-17/जी.एन./आर.ई.जी.004, तारीख 30 नवम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, सं. 375, तारीख 19 मई, 2025 में, अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2025-26/जी.एन./आर.ई.जी.126, तारीख 19 मई,, 2025 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2025 द्वारा किया गया था ।

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th May, 2025

Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Fourth Amendment) Regulations, 2025.

F. No. IBBI/2025-26/GN/REG127.—In exercise of the powers conferred by clause (t) of sub- section (1) of section 196 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations to further amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016, namely:-

1. (1) These regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Fourth Amendment) Regulations, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016 (hereinafter referred to as 'the principal regulations'), in regulation 18, after sub-regulation (4), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

"(5) The committee may direct the resolution professional to invite the providers of interim finance to attend as observers without voting rights, such meeting(s) of the committee, as the committee may decide."

3. In the principal regulations, in regulation 36A, after sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be inserted, namely: -

"(1A) The resolution professional may, with the approval of the committee, invite expression of interest for submission of resolution plans for the corporate debtor as a whole, or for sale of one or more of assets of the corporate debtor, or for both."

4. In the principal regulations, in regulation 36B, sub-regulation (6A) shall be omitted.

5. In the principal regulations, in regulation 38,

(i) in sub-regulation (1),

(a) In clause (b), for the word and mark "plan.", the word and mark "plan:" shall be substituted.

(b) after clause (b), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that where a resolution plan provides for payment in stages, the financial creditors who did not vote in favour of the resolution plan shall be paid at least pro rata and in priority over financial creditors who voted in favour of the plan, in each stage."

6. In the principal regulations, in regulation 39,

(i) in sub-regulation (2), the words "which comply with the requirements of the Code and regulations made thereunder", shall be omitted.

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

(ii) in sub-regulation (2), after the words "along with the details of", the words "non-compliant plans and", shall be inserted.

(iii) in sub-regulation (3), in clause (a), after the words "under sub-regulation (2)", the marks and words ", which comply with the requirements of the Code and regulations made thereunder,", shall be inserted.

RAVI MITAL, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./123/2025-26]

Note: The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016 were published vide notification No. IBBI/2016- 17/GN/REG004, dated 30th November, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 432 on 30th November, 2016 and were last amended by the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Third Amendment) Regulations, 2025 published *vide* notification No. IBBI/2025-26/GN/REG126, dated the 19th May, 2025 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 375 on 19th May, 2025.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.